में जारी हुए

किया गया। मजावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादनी द्वारा T.D.R बूंदी की रिपोर्ट में अंकित भूमि वाले बावड़ी खेड़ा के क्रम में वाद दायर किया गया था, लेकिन रिपोर्ट T.D.R बूंदी के लख ग्राम बावड़ी खेड़ा की जमाबन्दी सम्वत 2070-73 खाता सं. नम्बर 46 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जायदाद जो वाद विषयक है उस पर अन्य व्यक्ति खातेदार के रूप में दर्ज हो चुके हैं उक्त खातेदारों को वादनी द्वारा वाद में पक्षकार भी नहीं बनाया गया है ऐसी स्थिति में वाद आगे चलने योग्य नहीं है अतः वाद खारिज किया जाता है तदनुसार डिक्री पत्रिका जारी किया जावे तहसीलदार बूंदी से प्राप्त रिपोर्ट मय राजस्व रेकार्ड वा.कि. की जावे मजावली फैसले में शुमार होकर बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे।